

प्रेसनोट दिनांक 22.03.2025

1. दिनांक 21.03.25 को वादी उ०नि० श्री शेखर नाथ सिंह थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बिन्दु कुमार अग्रवाल पुत्र श्याम सुन्दर नि० फतेहगंज थाना को०नगर अयोध्या |गिर० अभि० के कब्जे से 50 ग्राम अवैध स्मैक बरामद होना जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 67/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।